न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:— रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:—42 / 2020

वादी:—

निम्बाराम पुत्र श्री जालाराम, जाति मेघवाल, निवासी बरसालू कला, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण:—

1. जोगाराम पुत्र श्री जालाराम
2. मुकनाराम पुत्र श्री जालाराम
3. गोतमराम पुत्र श्री जालाराम
4. बाबुराम पुत्र श्री जालाराम
5. माडु पत्नी श्री जालाराम
   जातियान मेघवाल, निवासी बरसालू कला
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
6. भूमिधारी तहसीलदार, ओसियां।

उपस्थित –

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री नैनुराम विश्नोई।
प्रतिवादी संख्या 1, से 5 की ओर से श्री अमरसिंह भाटी एड.।
प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—::निर्णय::—

दिनांक:— 15/2/22

वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— तहसील ओसियां, ग्राम बरसालू कलां में वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 8/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 3.9821 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 84/2 रकबा 1.4569 हैक्टेयर यानि 9 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है। वादग्रसत भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका मौके पर

अंदाजिया तौर पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विभाजन किया हुआ है। उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है। वादी ने प्रतिवादीगण को कोई बार वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार राजस्व रेकर्ड में विभाजन करवाने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगण वादी को तरह–तरह के बहाने बताते रहे जिसे वादी हकीकत समझता रहा। दिनांक 21.08.2020 को प्रतिवादीगण मौके पर आये तथा वादी की भूमि में से फव्वारे वगैरा चुराकर ले जाने लगे तो वादी ने इन्हें ऐसा करने से मना किया तथा वादग्ररत भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से इन्कार कर दिया तथा फव्वारे वगैरा जबरदस्ती चुराकर ले गये तथा लाखों रूपयों का नुकसान पहुंचाया तथा वादी को मौके से बेदखली की एलानिया धमकी दी जिसकी रिपोर्ट वादी द्वारा पुलिस थाना मतोड़ा में प्रस्तुत की हुई है। वादी ने निवेदन किया कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 8/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 3.9821 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 84/2 रकबा 1.4569 हैक्टेयर यानि 9 बीघा मौजा ग्राम बरसालु कला तहसील ओसियां में वादी का 1/6 हिस्सा संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार माप एवं सीमांकन से अलग किये जाने का आदेश सादिर फरमावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रसत भूमि में वादी के हक हिस्से व कब्जा काश्त सुदा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें तथा न किसी अन्य से करावें।

यह है कि वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री अमरसिंह भाटी उपस्थित प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रसत भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा अलग किया जावें। प्रतिवादीगण का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

Scanned with CamScanner

यह है कि वादी के वाद पत्र पर वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। वादी वादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा अपने 1/6 हिस्से की भूमि विभाजन कर अलग करवाने का अधिकारी है।

—::आदेश::—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 8/1 रकबा 3.9578 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 3.9821 हैक्टेयर यानि 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 84/2 रकबा 1.4569 हैक्टेयर यानि 9 बीघा मौजा ग्राम बरसालु कला तहसील ओसियां बाबत् राजस्व रेकर्ड व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार आवागमन हेतु रास्ते की सुविधा को कायम करते हुए विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है तथा इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार ओसियां से तलब हो तथा निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 15/2/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner